रजिस्ट्री सं डी.एल -33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 1994/आषाढ़ 20, 1916
No. 98] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 1994/ASADHA 20, 1916

पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1994

फाइल सं. ए-11019/2/94-प्रशा. (वे.आ.):—भारत सरकार ने अपने संकल्प सं. 5(12)/ई 3/93-दि. 9 अप्रैल 1994 द्वारा संदर्भ के निम्न नियमों सहित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है :—

(क) सिद्धांतों, जो पारिश्रमिक की संरचना को शासित करेंगे तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की उन शर्तों को प्रस्तुत करना जिनका वित्तीय अभिप्राय होगा।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के निम्नलिखित संवर्गों की सेवा शर्तों तथा पारिश्रमिक की वर्तमान संरचना की उनकी उपलब्ध लाभों के कुल पैकेट को विचार में लेते हुए जांच करना तथा उनमें परिवर्तनों का सुझाव देना जो वांछनीय एवं व्यवहार्य हों—

(1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी—औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक,

(2) अखिल भारतीय सेवा से संबंधित कार्मिक,

(3) सशस्त्र बलों से संबंधित कार्मिक

(4) केन्द्रशासित क्षेत्रों के कार्मिक, तथा

(5) भारतीय सर्वोच्च न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी।

(ग) पेंशनधारियों हेतु एक समुचित पेंशन संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से मृत्यु एवं अवकाश प्राप्ति लाभों सहित मौजूदा पेंशन संरचना की जांच करना तथा उससे संबंधित अनुशंसाएं करना, जो वांछनीय एवं व्यवहार्य हों।

(घ) कार्य के तरीकों तथा कार्य परिवेश साथ ही उस प्रकार के भत्तों तथा लाभों के किस्मों जो वेतन के अतिरिक्त उपरोक्त संवर्गों को वर्तमान में उपलब्ध हैं, की जांच करना तथा प्रशासन में दक्षता विकसित करने, अनावश्यक कागजी कार्यवाही को कम करने तथा सरकारी मशीनरी के आकार को अनुकूलतम बनाने के उद्देश्य से उनका औचित्य स्थापन तथा सरलीकरण का सुझाव देना

(ङ) अन्य संबद्ध तथ्यों के साथ राज्य सरकारों इत्यादि के अधीन उपलब्ध प्रचलित वेतन संरचना तथा अवकाश प्राप्ति लाभों, देश के आर्थिक हालात, केन्द्रीय सरकार के सांसाधनों तथा उन पर मांगों, जैसे आर्थिक एवं सामाजिक विकास, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सुदृढ़ आर्थिक प्रबंध की अपेक्षाओं के कारण को विचार में रखते हुए उपरोक्त प्रत्येक पर अनुशंसाएं करना।

2. आयोग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जो दिनांक 5 मई 1994 अथवा उसके आस-पास सभी अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। इसमें आयोग ने उपर्युक्त मामले पर दिनांक 15 जुलाई, 1994 तक सभी संघों, यूनियनों, संस्थाओं अन्य संगठनों तथा इच्छुक व्यक्तियों से अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुए ज्ञापन भेजने की पेशकश की थी।

3. आयोग को अनेक संघों, यूनियनों आदि के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि आयोग को प्रस्तुत करने के लिये उपयुक्त ज्ञापन तैयार करने में वे व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना कर रहे है। उन्होंने विवरण भेजने की अन्तिम तारीख बढ़ाने के लिये अनुरोध किया है।

4. इस संबंध में संघों, यूनियनों इत्यादि द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों तथा सभी संबंधितों को आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ज्ञापन भेजने की अन्तिम तारीख 31 अगस्त, 1994 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

5. पहले यह अधिसूचित किया गया था कि आयोग को आपनों की 7 प्रतियां भेजी जायें। चूंकि आयोग के कार्यालय में सारा काम कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है अतः आयोग को आपनों की केवल 2 प्रतियां भेजना ही पर्याप्त होगा। जैसा कि पहले अधिसूचित किया जा चुका है यदि आपन कम्प्यूटर फ्लापी पर भेजा जा सके तो उचित होगा।

यह ध्यान रखा जाये कि आयोग को आपन भेजने के समय में आगे कोई वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी।

एम. के. काव, सदस्य-सचिव
पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग

FIFTH CENTRAL PAY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 1994

F. No. A-11019/2/94-Ad.I(PC).—Government of India vide its Resolution No. 5(12)/E III/93, dated the 9th April, 1994 have constituted the Fifth Central Pay Commission with the following terms of reference :—

(a) To evolve the principles which should govern the structure of emoluments and those conditions of service of Central Government employees which have a financial bearing.

(b) To examine the present structure of emoluments and conditions of service of the following categories of Government employees, taking into account the total packet of benefits available to them and suggest changes therein which may be desirable and feasible :—

(i) Central Govt. employees—industrial and non-industrial;

(ii) Personnel belonging to the All India Services;

(iii) Personnel belonging to the Armed Forces;

(iv) Personnel of the Union Territories; and

(v) Officers and employees of the Supreme Court of India and the High Court of Delhi.

(c) To examine, with a view to having a proper pension structure for pensioners, the existing pension structure including death-cum-retirement benefits and make recommendations relating thereto which may be desirable and feasible.

(d) To examine the work methods and work environment as also the variety of allowances and benefits in kind that are presently available to the aforementioned categories in addition to pay and to suggest rationalisation and simplification thereof with a view to promoting efficiency in administration, reducing redundant paper-work and optimising the size of the Government machinery

(e) To make recommendations on each of the foregoing having regard, among other relevant factors, to the prevailing pay structure and retirement benefits available under the State Governments, etc., economic conditions in the country, the resources of the Central Government and the demands thereon such as those on account of economic and social development, defence and national security and requirements of sound fiscal management.

2. The Commission issued a Public Notice which was published in leading newspapers on or about 5th May, 1994, inviting all associations, unions, institutions, other organisations and interested individuals to send memoranda containing their views on the aforesaid matters on or before 15th July, 1994.

3. The Commission has received representations from a number of associations, unions, etc., stating that they are facing practical difficulty in preparing suitable memoranda for submission to the Commission. They have requested for extension of the last date for sending the memoranda.

4. Having regard to the difficulties being experienced by associations, unions, etc., in this regard and the need to provide ample opportunities to all concerned for making representations to the Commission, the Commission has decided to extend the last date for sending the memoranda to 31st August, 1994.

5. It was notified earlier that 7 copies of the memoranda may be sent to the Commission. However, since the work in the Office of the Commission is being fully computerised, it will suffice if only two copies of the memoranda are sent to the Commission. As notified earlier, the memoranda may also preferably be sent on a computer floppy.

7. It may be noted that no further extension of time to submit the memoranda to the Commission will be granted.

M. K. KAW, Member Secy.
Fifth Central Pay Commission

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994